

आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान (ए.जे.सी.बी.आई.बी.जी.), भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, हावड़ा

निविदा आमंत्रण सूचना

आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान (ए.जे.सी.बी.आई.बी.जी.) में सभी झीलों, नहरों एवं उनके अंतःसंयोजनों की सफ़ाई तथा रखरखाव की सेवाएँ प्रदान करने हेतु वैद्य पंजीकृत तथा स्थापित अभिकरणों से पूर्णतः वार्षिक रखरखाव ठेका (ए.एम.सी.) के आधार पर मोहर बंद निविदाएँ आमंत्रित हैं।

कार्य का नाम	अग्रिम धन जमा (ई.एम.डी.) (रु. में)	निविदा दस्तावेज़ की कीमत (रु. में)	कार्य / संविदा की अवधि
आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान (ए.जे.सी.बी.आई.बी.जी.) परिसर में पूरे वर्ष शारीरिक श्रम से अथवा यंत्र का इस्तेमाल करते हुए सभी झीलों, नहरों एवं उनके अंतःसंयोजनों की सफ़ाई तथा रखरखाव एवं जनित घास-पात और कूड़े का निर्वतन जैसा कि प्राधिकारी द्वारा तय किया/निदेश दिया जाएगा।	25,000/-	500/-	केवल एक वर्ष

निविदा दस्तावेज़ों को वेबसाइट (www.moef.gov.in / www.bsi.gov.in / www.tenders.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। विधिवत भरे हुए निविदा दस्तावेज़ों के साथ कीमत की राशि **500 रु./-** मात्र (अप्रतिदेय) के डिमांड ड्राफ़्ट के रूप में **PAO (BSI/ZSI), Kolkata** के नामे देय अवश्य संलग्न करें। **500 रु./-** (अप्रतिदेय) के डिमांड ड्राफ़्ट रहित निविदा दस्तावेज़ों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। निविदा दस्तावेज़ों को स्व-पता लिखा एस.ई.-6 आकार (12.5×28 सेमी.) के लिफ़ाफ़े में डाक टिकट लगाकर **500 रु./-** मात्र (अप्रतिदेय) के डिमांड ड्राफ़्ट के रूप में **PAO (BSI/ZSI), Kolkata** के नामे देय भुगतान करके डाक द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। डाक विलंब के लिए प्राधिकारी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

दिनांक **19.07.2010** को आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के वैज्ञानिक-‘इ’ सह कार्यालयाध्यक्ष, ए.जे.सी.बी.आई.बी.जी. के कक्ष में **3 बजे अपराह्न** एक पूर्व-बोली सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

मोहर बंद निविदाएँ **निदेशक का कार्यालय, तृतीय एम.एस.ओ. भवन, 5वाँ तला, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, सॉल्ट लेक, कोलकाता – 700 064** में खोली जाएंगी एवं उस कार्यालय में दिनांक **02.08.2010** को **12 बजे दोपहर** तक या पहले पहुँच जाना चाहिए। तकनीकी निविदा प्रपत्र (भाग-1) उसी कार्यालय में दिनांक **02.08.2010** को **01.00 बजे अपराह्न** को खोली जाएगी। निविदाकारों को अपने प्रस्तावित जनशक्ति, तकनीकी निपुणता, इत्यादि का दिनांक **03.08.2010** को **10 बजे पूर्वाह्न** से आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान परिसर में प्रदर्शन करना होगा। केवल तकनीकी रूप से योग्य तथा प्रदर्शन में दुरुस्त निविदाकारों की वित्तीय निविदा प्रपत्र (भाग-2) दिनांक **05.08.2010** को **01.00 बजे अपराह्न** को **निदेशक का कार्यालय, तृतीय एम.एस.ओ. भवन, 5वाँ तला, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, सॉल्ट लेक, कोलकाता – 700 064** में खोली जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी के पास बिना कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

वैज्ञानिक-‘इ’ सह कार्यालयाध्यक्ष
आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान
वनस्पति उद्यान, हावड़ा, भारत
दूरभाष सं. 033-26680554; फ़ैक्स सं. 033-26685096
ई-मेल: ibg_bsi@rediffmail.com; ibg_bsi@yahoo.co.in



आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान (ए.जे.सी.बी.आई.बी.जी.) में
पूर्णतः वार्षिक रखरखाव ठेका (ए.एम.सी.) के आधार पर सभी झीलों, नहरों एवं
उनके अंतःसंयोजनों की सफ़ाई तथा रखरखाव की सेवाएँ प्रदान करने हेतु निविदा
तकनीकी निविदा प्रपत्र (भाग-1)

1. निविदा फ़ार्म की कीमत : **500 रु./-मात्र**
2. पूर्व-बोली सम्मेलन की तिथि : **19.07.2010** को **3 बजे** अपराह्न
3. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय : **02.08.2010** को **12 बजे दोपहर** तक
4. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि और समय : **02.08.2010** को **01.00 बजे** अपराह्न
5. प्रदर्शन की तिथि और समय : **03.08.2010** को **10 बजे पूर्वाह्न** से
6. वित्तीय निविदा खोलने की तिथि और समय : **05.08.2010** को **01.00 बजे** अपराह्न
7. लाइसेंस की अवधि : **केवल एक वर्ष**
8. प्रतिष्ठान / अभिकरण का नाम और पता (दूरभाष संख्या सहित) : _____

निविदाकार अथवा अभिकरण/प्रतिष्ठान के स्वत्वधारी की पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकायें

9. प्रतिष्ठान / अभिकरण की पंजीकरण संख्या : _____
पंजीकरण के वैधता की तिथि : _____

10. प्रतिष्ठान / अभिकरण अधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और दूरभाष संख्या : _____

11. अभिकरण की हैसियत (स्वामित्व/भागीदारी/लिमिटेड कंपनी) : _____

12. स्वत्वधारी/भागीदार/प्रबंध निदेशक/अधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और दूरभाष संख्या उल्लिखित करें :

क्रम सं.	नाम तथा पदनाम	पूरा पता	दूरभाष / मोबाइल सं.

13. टैन / पैन संख्या : _____

14. भविष्य निधि लेखा (यदि कोई) : _____

15. कर्मचारी राज्य बीमा लेखा संख्या : _____

16. ठेका श्रम (आर.ए.) एक्ट के अधीन अनुज्ञप्ति संख्या : _____

17. अग्रिम धन जमा का विवरण :

क. राशि : रु. _____ (शब्दों में) _____

ख. बैंक डिमांड ड्राफ्ट सं. _____

ग. डिमांड ड्राफ्ट जारी करने की तिथि _____

घ. जारी करने वाले बैंक का नाम _____

18. अभिकरण द्वारा प्रदान किये जानेवाले जनशक्ति का अनुभव सहित विवरण, यदि कोई (कृपया पृथक पत्रक संलग्न करें):

19. कार्य की योजना।

20. इसी तरह के सेवाओं के अनुभव का विवरण। कृपया कार्य आदेश / संतोषजनक रिपोर्ट / समापन प्रमाणपत्र यदि कोई हो तो संलग्न करें :

क. उद्यानों / संगठनों / संस्थानों / उद्योगों की संख्या जहाँ पर झीलों की सफ़ाई करने की सेवाएँ प्रदान की गई है (कृपया सूची संलग्न करें):

ख. उद्यानों / संगठनों / संस्थानों / उद्योगों की संख्या जहाँ पर झीलों की सफ़ाई करने की सेवाएँ परिचालित है (कृपया सूची संलग्न करें)

ग. आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान में लाए जाने वाले सविवरण कार्यप्रणाली / कार्यविधि (कृपया पृथक पत्रक संलग्न करें):

अन्य कोई सूचना : _____

21. घोषणा :

प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा फ़ार्म पर हस्ताक्षर करने से पूर्व मैने / हमलोगों ने संलग्नक में समाविष्ट तथा एतदधीन उल्लिखित निबंधन और शर्तों को पढ़कर पूरी तरह समझा है एवं उनका पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं :

- क. अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं करने अथवा निर्धारित समय के भीतर निविदा के शर्तों को पूरा नहीं करने की स्थिति में, मुझे / हमलोगों को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्राधिकारी द्वारा भविष्य में आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान, हावड़ा में होनेवाले किसी भी निविदा में भागीदारी से तीन वर्षों के लिए विवर्जित किया जाएगा।
- ख. अपर्याप्त अथवा गलत सूचना प्रदान करने की स्थिति में, मेरी / हमलोगों की निविदा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताए निरस्त किए जाने के लिए दायी होगी। यदि परवर्ती अवस्था में मेरे / हमलोगों द्वारा जमा की गई दस्तावेज़ें जाली पायी जाती है तो बिना पूर्वग्रह के निविदा को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्राधिकारी द्वारा उपयुक्तानुसार अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
- ग. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के प्राधिकारी न्यूनतम बोली और / अथवा न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे तथा प्राधिकारी के पास बिना कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को निरस्त करने अथवा निविदा को अंशतः अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा एवं निविदाकार को उद्धृत दर पर सेवा प्रदान करना होगा।

दिनांक :

स्थान :

(निविदाकार का हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

पता :

दूरभाष सं (कार्यालय) :

दूरभाष सं (आवास) :

मोबाइल सं. :

ई-मेल :

वेबसाइट :

साक्षी :

पूरा नाम	पत्राचार का पता	हस्ताक्षर

3. घोषणा :

प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा फ़ार्म पर हस्ताक्षर करने से पूर्व मैंने / हमलोगों ने संलग्नक में समाविष्ट तथा एतदधीन उल्लिखित निबंधन और शर्तों को पढ़कर पूरी तरह समझा है एवं उनका पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ :

- क. अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं करने अथवा निर्धारित समय के भीतर निविदा दस्तावेज़ के किसी भी शर्त को पूरा नहीं करने की स्थिति में, मेरी / हमलोगों की अग्रिम धन जमा (इ.एम.डी.) की राशिरु./ (.....रुपये) को ज़ब्त कर लिया जाएगा।
- ख. अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं करने अथवा निर्धारित समय के भीतर निविदा के शर्तों को पूरा नहीं करने की स्थिति में, मुझे / हमलोगों को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्राधिकारी द्वारा भविष्य में आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान, हावड़ा में होनेवाले किसी भी निविदा में भागीदारी से तीन वर्षों के लिए विवर्जित किया जाएगा।
- ग. अपर्याप्त अथवा ग़लत सूचना प्रदान करने की स्थिति में, मेरी / हमलोगों की निविदा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताए निरस्त किए जाने के लिए दायी होगी। यदि परवर्ती अवस्था में मेरे / हमलोगों द्वारा जमा की गई दस्तावेज़ें जाली पायी जाती हैं तो बिना पूर्वाग्रह के निविदा को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्राधिकारी द्वारा उपयुक्तानुसार अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
- घ. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के प्राधिकारी न्यूनतम बोली और / अथवा न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे तथा प्राधिकारी के पास बिना कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को निरस्त करने अथवा निविदा को अंशतः अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा एवं निविदाकार को उद्धृत दर पर सेवा प्रदान करना होगा।

दिनांक :

स्थान :

(निविदाकार का हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

पता :

दूरभाष सं (कार्यालय) :

दूरभाष सं (आवास) :

मोबाइल सं. :

ई-मेल :

वेबसाइट :

साक्षी :

पूरा नाम	पत्राचार का पता	हस्ताक्षर

आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान (ए.जे.सी.बी.आई.बी.जी.) में पूर्णतः वार्षिक रखरखाव ठेका (ए.एम.सी.) के आधार पर सभी झीलों, नहरों एवं उनके अंतःसंयोजनों की सफ़ाई तथा रखरखाव की सेवाएँ प्रदान करने हेतु निविदा

प्रस्थापना :

1. आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के सभी झीलों, नहरों एवं उनके अंतःसंयोजनों की सफ़ाई तथा रखरखाव एवं अभिहित जगह पर जनित घास-पात और कूड़े का समक्षणिक निर्वतन एवं पाटना कार्य करने की सेवाएँ।
2. निबंधन और शर्तों, कार्य क्षेत्र, पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों, इत्यादि पर विचार-विमर्श करने के लिए विज्ञापन में निर्धारित तिथि को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पदधारियों एवं भावी निविदाकारों के बीच एक पूर्व-बोली सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
3. निविदा का अभिनिर्णय खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा प्रतियोगी बोली के आधार पर किया जाएगा।
4. स्वीकृत बोली राशि का निर्धारित किस्तों में भुगतान किया जाएगा।

आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान परिसर में वर्जित गतिविधियाँ

- क). एल्कोहल/मादक वस्तुएँ लाना/उपभोग करना।
- ख). प्लास्टिक/पोलिथिलिन के झोले/थैलियाँ लाना (उद्यान को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है)।
- ग). खुले में आग जलाना और खाना पकाना।
- घ). आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के 1961 के स्थायी नियमों तथा उपनियमों के अधीन वर्जित अन्य गतिविधियाँ।
- ङ). उद्यान के विकास के लिए बनी उपसमिति के द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली अन्य बिंदु।

कार्य क्षेत्र

1. आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के सभी झीलों और नहरों के जलवाही तथा प्लवमान घास-पाँतों की सफ़ाई एवं सभी झीलों को पूरे वर्ष साफ़सुथरा रखना।
2. समय-समय पर प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार, साफ़ किए हुए घास-पाँतों को अभिकरण द्वारा दैनंदिन आधार पर एक अभिहित जगह अथवा 'खाद-गढ़ा' में ले जाकर रखा जाएगा।
3. झीलों में गिरे / सड़े हुए पेड़ों अथवा शाखाओं को झीलों से निकालकर प्राधिकारी के निर्देशानुसार अभिहित जगह पर जमा करके रखना होगा।
4. झीलों के टापुओं को भी अभिकरण द्वारा प्राधिकारी के निर्देशानुसार साफ़सुथरा रखा जाएगा।
5. झीलों को दर्शकों के लिए मनोरम रखने हेतु, झीलों और नहरों के जल स्तर से कम-से-कम 3 मीटर ऊपर तक के किनारों को प्राधिकारी के निर्देशानुसार साफ़सुथरा रखना होगा।
6. जिन झीलों के इलाकों में प्राधिकारी द्वारा जलीय पौधे लगाए गए हैं, वहाँ पर सफ़ाई करते समय हर सावधानी बरती जाएगी ताकि इन पौधों अथवा उनके किसी भाग को क्षति न हो।
7. पानी का आगे-पीछे मुक्त बहाव बरकरार रखने के लिए, नहरों और झीलों के अंतःसंयोजनों को साफ़ रखना होगा।

8. आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के झीलों और नहरों में मछली मारना सख्ती से वर्जित है। यदि सफ़ाई कार्य करते वक्त कोई मछली अथवा वास करने वाले अन्य जीवों को ज़िंदा पकड़ा जाए तो उन्हें तुरंत संबंधित झीलों में वापस छोड़ दें अथवा दुर्घटनावश मृत पकड़ा जाए तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के अवधायक, सुरक्षा पर्यवेक्षक अथवा क्यूरेटर कार्यालय के अधिकारी के पास जमा कर दें।
9. झीलों की सफ़ाई केवल शारीरिक श्रम से अथवा यंत्र का इस्तेमाल करके करना है तथा ऐसा कोई भी रसायन अथवा अन्य सामग्री इस्तेमाल नहीं करना है जो पानी की गुणवत्ता को नष्ट करके प्राकृतिक पौधों और जीवों के लिए ख़तरा बने।
10. सफ़ाई कार्य केवल दिन के वक्त केवल **6.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न** के बीच ही करना होगा।

निबंधन और शर्त :

1. सफ़ाई कार्य के दौरान, अभिकरण अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सावधानी बरतेगा। अभिकरण के पास कार्यरत कर्मचारियों की निजी सुरक्षा हेतु बचाव सामग्रियाँ अपेक्षित संख्या में उपलब्ध होनी चाहिए ताकि दुर्घटना के वक्त आवश्यकतानुसार उन्हें उपयोग में लाई जा सके।
2. अभिकरण सभी झीलों, नहरों और उनके अंतःसंयोजनों की समुचित सफ़ाई एवं आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के प्राधिकारी के निर्देशानुसार जनित कूड़े का अभिहित स्थल पर निर्वहन हेतु संपूर्ण व्यय वहन करेगा।
3. कार्य करते वक्त किसी व्यक्ति के साथ हुई किसी भी दुर्घटना/अवांछित घटना के लिए अभिकरण पूरी तरह ज़िम्मेदार होगा तथा इस मामले में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के प्राधिकारी की कोई जवाबदेही नहीं होगी।
4. अभिकरण इस संविदा को अंशतः अथवा पूर्णतः किसी भी तरीके से किसी अन्य पार्टी अथवा व्यक्ति को उपभाड़ा पर नहीं देगा।
5. निबंधन और शर्त के अनुरूप, वार्षिक रखरखाव संविदा एक वर्ष के लिए वैध होगी बशर्ते कि संतोषजनक कार्य संपादन हो तथा आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के क्यूरेटर कार्यालय के संबंधित पदधारियों द्वारा प्रमाणित किया जाए। यह संविदा कार्यकाल के अंदर ही कभी भी निरस्त किया जा सकता है यदि अभिकरण अनुबंधित निबंधन और शर्तों का पालन नहीं करता है अथवा ऐसी किसी गतिविधि में शामिल हो जो उद्यान की पारिस्थितिकी, वातावरण, विकास और सुरक्षा के लिए ख़तरा बन जाए।
6. अभिकरण की स्थापना आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान की स्थापना से सभी तरह से सभी उद्देश्यों के लिए अलग होगी और किसी भी परिस्थिति में आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के प्राधिकारी अभिकरण के किसी भी देयता का भार नहीं उठाएँगे अथवा सहभागी होंगे।
7. अभिकरण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से काम पर लगाए गए सभी कर्मचारियों का हर मामले में संविदा **श्रम नियमन अधिनियम** के तहत प्रधान नियोक्ता होगा। अभिकरण समय-समय पर अधिसूचित न्यूनतम मज़दूरी से कम किसी भी कर्मचारी को मज़दूरी नहीं देगा तथा इस तरह की सेवाएँ प्रदान करने संबंधी अद्यतन सभी विधेयकों का अनुपालन करेगा। अभिकरण हर परिस्थिति में **बच्चों का रोज़गार अधिनियम** के प्रावधान का और इस संदर्भ में बनाए गए अन्य अधिनियमनों का पालन करेगा।
8. आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान की संपत्तियों की अभिकरण के मालिक द्वारा खुद अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा हुई किसी भी क्षति की भरपाई चुकाने के लिए अभिकरण दायी होगा। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के प्राधिकारी ऐसे भरपाई की सीमा तय करेंगे जो अभिकरण के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
9. अभिकरण के कर्मचारीगण आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के सुरक्षा व्यवस्था का हर ढंग से अनुपालन करेंगे तथा आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान प्राधिकारी के सुरक्षाकर्मियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्य तरीके से छानबीन किया जाएगा। अभिकरण और उनके सभी कर्मचारियों को उद्यान के अद्यतन तथा संशोधित नियमों और विनियमों एवं विधियों और उपविधियों का सख्ती से पालन करना होगा। अभिकरण और इसके कार्यरत सभी कर्मचारी उद्यान परिसर के भीतर वास नहीं करेंगे वरन तात्कालिक आवश्यकता की परिस्थिति में जब आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के प्राधिकारी ऐसे कर्मचारीगण को लिखित रूप में अस्थायी तौर पर ठहरने का निर्देश देते हैं।

10. अभिकरण के किसी भी कर्मचारी द्वारा किसी भी रूप में मछली पकड़ने अथवा ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए पकड़े जाने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
11. सफल अभिकरण को स्वीकृति का प्रमाण के रूप में कार्य आदेश की यथावत हस्ताक्षरित अनुलिपि जमा देना होगा तथा कार्य आदेश जारी होने के तीन दिनों के भीतर **50 रु./-** मात्र के गैर-अदालती स्टॉप पत्र पर अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्त शासी करार अनुबंध/अनुज्ञप्ति विलेख हस्ताक्षर करना होगा (प्रोफॉर्मा संलग्न)।
12. आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के झीलों, नहरों एवं उनके अंतःसंयोजनों की सफ़ाई और रखरखाव की सेवाएँ प्रदान करने हेतु, अभिकरण विभिन्न सांविधिक प्राधिकरणों/मानदंडों के सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा।
13. अभिकरण को यह बताते हुए घोषणा पत्र जमा करना होगा कि इसका कोई भी भागीदार आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान/भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के किसी भी कर्मचारी का संबंधी नहीं है।
14. अभिकरण का स्थानीय कार्यालय टेलिफ़ोन सुविधाओं सहित हावड़ा/कोलकाता में होना चाहिए।
15. अभिकरण के कर्मचारियों को आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान परिसर में रहने के लिए कोई आवास मुहैया नहीं किया जाएगा। निर्धारित कार्य समय के उपरांत अभिकरण के कर्मचारियों को उद्यान से बाहर निकल जाना होगा।
16. सफल अभिकरण/निविदाकार को निर्धारित दर, इत्यादि पर रखे गए कर्मचारियों को नियत समय पर मज़दूरी भुगतान करने संबंधी सभी सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
17. अभिकरण के सभी कर्मचारियों को उद्यान के अद्यतन तथा स्थायी एवं समय-समय पर संशोधित नियमों का सख़्ती से पालन करना पड़ेगा।
18. संविदा के निबंधन का गंभीर अतिक्रमण होने पर संविदा निरस्त कर दिया जाएगा, मामूली अतिक्रमण होने पर अभिकरण को अर्थ दंड दिया जाएगा। अतिक्रमण के स्वरूप और परिणाम को ध्यान में रखते हुए, अर्थ दंड की प्रमात्रा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा जो अभिकरण के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
19. सक्षम प्राधिकारी के पास जनहित में अथवा सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण का विचार करते हुए एवं नैसर्गिक न्याय लगाते हुए अभिकरण के किसी भी कर्मचारी का प्रतिस्थापन करने हेतु आदेश देने का अधिकार सुरक्षित है जिसे अभिकरण को तुरंत अनुपालन करना होगा।
20. अभिकरण संविदा अवधि की समाप्ति अथवा किसी निबंधन के गंभीर अतिक्रमण के कारण निरस्तीकरण के साथ ही धारण ख़ाली कर देगा। यदि अभिकरण इसे ख़ाली नहीं करता है तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के प्राधिकारी के पास समुचित अधिकार बरकरार रहेगा कि वे समुचित प्रक्रिया पूरी करते हुए ताला तुड़वाकर धारण ख़ाली करवा देंगे।
21. कुछ झीलों का अक्षारीकरण किया जाना है जिन्हें नवीकरण की अवधि के दौरान वार्षिक रखरखाव संविदा से वंचित रखा जाएगा और इस दौरान समानुपातिक राशि संविदा की कुल राशि से काट ली जाएगी। ऐसी परिस्थिति में अभिकरण सक्षम प्राधिकारी के निर्णय स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा।
22. अभिकरण को प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल में सफ़ाई तथा रखरखाव संबंधी कार्य का प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में कार्यालय में जमा देना होगा।
23. सक्षम प्राधिकारी के पास किसी पूर्वाग्रह और कारण बताए बिना किसी भी अथवा सभी निविदा आवेदनों को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रतिभूति जमा :

1. सफल अभिकरण को स्वीकृत बोली के 15% का प्रतिभूति जमा कार्य आदेश जारी होने के तीन दिनों के भीतर जमा देना होगा अन्यथा कार्य आदेश निरस्त कर दिया जाएगा एवं अग्रिम धन जमा (इ.एम.डी.) ज़ब्त कर लिया जाएगा।
2. प्रतिभूति जमा और/अथवा क्षतिपूर्ति बंधपत्र/निष्ठा बंधपत्र को किसी भी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी जहाँ पर निविदाकार का अपना बैंक लेखा हो एवं **PAO (BSI/ZSI), Kolkata** के नामे देय बैंक गारंटी के रूप में चुकाना होगा।
3. आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के झीलों के वनस्पतियों एवं जंतुओं की अभिकरण के मालिक द्वारा खुद अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा हुई किसी भी क्षति की भरपाई चुकाने के लिए अभिकरण दायी होगा। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के प्राधिकारी ऐसे भरपाई की सीमा तय करेंगे। यदि अभिकरण नियत अवधि के भीतर मुआवज़ा नहीं चुकाएगा तो पूरी राशि को प्रतिभूति जमा की राशि से काट लिया जाएगा एवं अभिकरण को नई प्रतिभूति जमा करना होगा अन्यथा संविदा निरस्त कर दिया जाएगा।

भुगतान की रीति

- संविदा की राशि का भुगतान चेक द्वारा 6 (छः) समान किस्तों में किया जाएगा तथा आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सफ़ाई का प्रमाणपत्र दिए जाने के उपरांत क्रमशः दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, दसवें एवं बारहवीं महीनों के अंतिम दिन को देय होगा।
- उपरलिखित दो महीने की अवधि के दौरान, झीलों की सफ़ाई का कार्य न करने, बहुत ही असंतोषजनक सफ़ाई अथवा अंशतः सफ़ाई, इत्यादि की स्थिति में द्विमासिक किस्त के भुगतान को पास नहीं किया जाएगा और इस राशि को तदोपरांत भुगतान हेतु अग्रेनीत नहीं किया जाएगा।

कार्यकाल और वैधता :

1. संविदा एक वर्ष के लिए वैध होगी बशर्ते कि अनुबंधित निबंधन और शर्तों के अनुरूप एवं आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के संबंधित पदधारियों द्वारा संतोषजनक कार्य संपादन होना प्रमाणित किया जाए।
2. अभिकरण द्वारा संतोषजनक कार्य संपादन तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन होने पर, संविदा का विस्तार निर्वर्तमान निबंधन एवं शर्तों और/अथवा किसी मुद्दा का परिवर्धन-अपमार्जन करके जिसे अभिकरण द्वारा अनुबंधित किए जाने और मौजूदा बोली राशि का भुगतान करने के लिए सहमति होने पर आगामी अवधि/मियाद तक किया जा सकता है। संविदा के मियाद का विस्तार करने का अधिकार पूर्णतः भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के सक्षम प्राधिकारी में निहित है।
3. निबंधन और शर्तों का पालन नहीं करने और/अथवा यदि अभिकरण अथवा इसका कोई कर्मचारी ऐसी किसी अन्य गतिविधि में शामिल हो जो उद्यान के वातावरण के लिए खतरा हो तो यह संविदा कार्यकाल की अवधि के भीतर किसी समय निरस्त की जा सकती है। बिना पूर्वाग्रह के संविदा को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्राधिकारी द्वारा उपयुक्तानुसार अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

माध्यस्थम् :

1. परक्रामण से नहीं सुलझने वाले विवाद/विवादों को सुलझाने के लिए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में विचारार्थ भेजी जाएगी, तथा आवश्यकतानुसार मंत्रालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के पास भेजी जाएगी। सभी कानूनी विवादों का निपटारा केवल कोलकाता / हावड़ा कोर्ट के अधीन होगा।
2. अभिकरण का कोई कर्मचारी किसी तरह से आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान/भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में नियमितीकरण का दावा नहीं करेगा और/अथवा ना ही किसी तरह से आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान/भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के कर्मचारियों की तरह समान व्यवहार का दावा करेगा।

प्रस्ताव फ़ार्म

विषय : आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान (ए.जे.सी.बी.आई.बी.जी.) में पूर्णतः वार्षिक रखरखाव ठेका (ए.एम.सी.) के आधार पर सभी झीलों, नहरों एवं उनके अंतःसंयोजनों की सफ़ाई तथा रखरखाव की सेवाएँ

आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान (ए.जे.सी.बी.आई.बी.जी.) में पूर्णतः वार्षिक रखरखाव ठेका (ए.एम.सी.) के आधार पर सभी झीलों, नहरों एवं उनके अंतःसंयोजनों की सफ़ाई तथा रखरखाव की सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्राधिकारी द्वारा निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित सभी निबंधन और शर्तों को मैंने / हमलोगों ने पढ़कर पूरी तरह समझा है और स्वीकार किया है।

मैं/हमलोग इस उद्देश्य के लिए बनाए गए अनुबंध में निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुरूप कार्य करने का प्रस्ताव देता हूँ/देते हैं।

मेरे/हमलोगों के व्यवसाय का विवरण निम्न प्रकार से है :

क). अभिकरण/समिति का नाम :

ख). पंजीकरण सं. :

ग). निविदाकार का नाम :

घ). स्थायी पता :

ङ). पुलिस स्टेशन :

च). दूरभाष सं. :

1. कार्यालय :

2. आवास :

छ). हमारे बैंकर का नाम और पता :

मैं/हमलोग एतद द्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त सूचनाएँ पूर्णतः सत्य हैं।

दिनांक :

स्थान :

निविदाकार का हस्ताक्षर /
कार्यालयीन मोहर सहित गठित मुख़्तारनामा

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरा/हमलोगों का कोई भी निकट संबंधी/रिश्तेदार (निकट संबंधी/रिश्तेदार से तात्पर्य है पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी और विवाहिता / विवाहिती, इत्यादि) आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान (ए.जे.सी.बी.आई.बी.जी.) , भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का कर्मचारी नहीं है और ना ही ऐसा कोई निकट संबंधी स्वत्वधारी/भागीदार//शेयर धारक/निदेशक आदि के रूप में हमारा सहयोगी है।

1. निविदाकार / निविदाकारों का हस्ताक्षर :
2. पता :
3. दिनांक सहित कार्यालय की मोहर :

**आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान (ए.जे.सी.बी.आई.बी.जी.) में पूर्णतः
वार्षिक रखरखाव ठेका (ए.एम.सी.) के आधार पर सभी झीलों, नहरों एवं उनके अंतःसंयोजनों
की सफ़ाई तथा रखरखाव की सेवाएँ प्रदान करने संबंधी सामान्य निबंधन और शर्त**

1. निविदाकार/निविदाकारों का स्थानीय कार्यालय होना चाहिए और कार्यालय तथा आवास में नियमित दूरभाष सेवा उपलब्ध होनी चाहिए।
2. निविदाकार आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान (ए.जे.सी.बी.आई.बी.जी.), भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के किसी कर्मचारी का निकट संबंधी नहीं हो (निकट संबंधी से तात्पर्य है पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटा और विवाहिता/विवाहिती, इत्यादि) और ना ही ऐसा कोई निकट संबंधी स्वत्वधारी/भागीदार/शेयर धारक/निदेशक आदि के रूप में निविदाकार का सहयोगी हो।
3. सफल निविदाकार/निविदाकारों को आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान (ए.जे.सी.बी.आई.बी.जी.), भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के साथ संलग्न प्रपत्र के अनुरूप **50 रु./-** मात्र के गैर-अदालती स्टॉप पत्र पर निबंधन और शर्त शासी एक अनुबंध करना होगा।
4. निविदा/निविदाओं के साथ अग्रिम धन जमा (इ.एम.डी.) के रूप में डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा जो **25,000 रु./-** मात्र और **PAO (BSI/ZSI), Kolkata** के नाम देय होगा। असफल निविदाकारों की अग्रिम धन जमा (इ.एम.डी.) लौटा दी जाएगी जिसके लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
5. सफल निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने के कार्य आदेश जारी होने के **3 (तीन)** दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेजों को कार्यालय में जमा देना होगा :
 - क. कार्य आदेश की अनुलिपि पर निविदाकार द्वारा संविदा के निबंधन और शर्तों की स्वीकृति का सांकेतिक के रूप में मोहर लगाकर यथावत हस्ताक्षर करना होगा।
 - ख. अभिकरण/समिति के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि।
 - ग. प्रपत्र के अनुरूप गैर-अदालती स्टॉप पत्र पर संविदा के निबंधन और शर्त शासी इस अनुबंध/अनुज्ञप्ति विलेख की मूल प्रति।
6. निविदा फ़ार्म [भाग-1 (तकनीकी) और भाग-2 (वित्तीय)] को यथावत भरकर अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि तथा समय से पूर्व, **निदेशक का कार्यालय, तृतीय एम.एस.ओ. भवन, 5वाँ तला, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, सॉल्ट लेक, कोलकाता – 700 064** में रखे गए निविदा बक्सा में डालें।
7. दो प्रकार की निविदा पद्धति के अनुरूप, तकनीकी निविदा प्रपत्र (भाग-1) एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र (भाग-2) पर अलग-अलग विचार किया जाएगा।
8. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में गठित परामर्शी मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी निविदा प्रपत्र का मूल्यांकन करेगी जिसमें निविदाकार/अभिकरण द्वारा जमा किए गए प्रत्ययपत्रों जैसे जनशक्ति का अनुभव, तकनीकी निपुणता एवं सफ़ाई कार्य करने संबंधी सामग्रियों का भंडार, इत्यादि का मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी बोली को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने के संदर्भ में गठित समिति का निर्णय अंतिम होगा।
9. आगामी विश्लेषण अथवा मूल्यांकन अथवा श्रेणीक्रम एवं संविदा हेतु अनुशंसा हेतु सफल निविदाकार चुनने के लिए, केवल उन्हीं निविदाकारों/अभिकरणों की वित्तीय प्रपत्र खोली जाएगी जिन्हें परामर्शी मूल्यांकन समिति ने तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया है। परामर्शी मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
10. आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के प्राधिकारी न्यूनतम बोली और / अथवा न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे तथा प्राधिकारी के पास बिना कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को निरस्त करने अथवा निविदा को अंशतः अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
11. निविदा के संबंध में किसी तरह की राजनीतिक अथवा अन्य तरीके से पक्ष-प्रचार सख्ती से वर्जित है और जो निविदाकार ऐसा करते पाए जाते हैं तो उनकी निविदाएँ केवल इसी आधार पर निरस्त की जा सकती हैं।

**आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान (ए.जे.सी.बी.आई.बी.जी.) में पूर्णतः
वार्षिक रखरखाव टेका (ए.एम.सी.) के आधार पर सभी झीलों, नहरों एवं उनके
अंतःसंयोजनों की सफ़ाई तथा रखरखाव की सेवाएँ**

निविदा भरने हेतु अनुदेश

1. निविदा दस्तावेज़ में निहित अनुदेश एवं निबंधनों और शर्तों को मानने के लिए निविदाकार बाध्य होगा तथा यदि निविदाकार इन्हें नहीं मानता है तो उसकी निविदा अविधिमान्य होगी। यदि निविदाकार निविदा में अतिरिक्त शर्त समाविष्ट करता है तो इसे निरस्त समझी जाएगी।
2. निविदाकारों से अनुरोध है कि कृपया वे सामान्य निबंधन और शर्तों, अनुबंध के प्रपत्र एवं घोषणा के अनुरूप अपना प्रस्ताव दें तथा स्वीकृति की सांकेतिक के रूप में निविदा दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने कार्यालय की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करें।
3. तकनीकी निविदा प्रपत्र (भाग-1) और वित्तीय निविदा प्रपत्र (भाग-2) को अलग-अलग लिफ़ाफ़े में भरकर तथा ऊपर बड़े अक्षरों में क्रमशः **“आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान (ए.जे.सी.बी.आई.बी.जी.) में पूर्णतः वार्षिक रखरखाव टेका (ए.एम.सी.) के आधार पर सभी झीलों, नहरों एवं उनके अंतःसंयोजनों की सफ़ाई तथा रखरखाव की सेवाएँ हेतु निविदा दस्तावेज़, तकनीकी निविदा प्रपत्र (भाग-1)”** अथवा **“आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान (ए.जे.सी.बी.आई.बी.जी.) में पूर्णतः वार्षिक रखरखाव टेका (ए.एम.सी.) के आधार पर सभी झीलों, नहरों एवं उनके अंतःसंयोजनों की सफ़ाई तथा रखरखाव की सेवाएँ हेतु निविदा दस्तावेज़, वित्तीय निविदा प्रपत्र (भाग-2)”** लिखें।
4. दोनों मोहरबंद लिफ़ाफ़ों को एक बड़े लिफ़ाफ़े में डालकर ऊपर बड़े अक्षरों में **“आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान (ए.जे.सी.बी.आई.बी.जी.) में पूर्णतः वार्षिक रखरखाव टेका (ए.एम.सी.) के आधार पर सभी झीलों, नहरों एवं उनके अंतःसंयोजनों की सफ़ाई तथा रखरखाव की सेवाएँ हेतु निविदा दस्तावेज़”** लिखें।
5. निविदाकार कृपया सामान्य निबंधन और शर्तों, घोषणा के अलावा प्रस्ताव प्रपत्र को पूर्णतः भरें एवं स्वीकृति की सांकेतिक के रूप में प्रत्येक पृष्ठ पर अपने कार्यालय की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करके मोहरबंद लिफ़ाफ़े में डालकर जमा दें।
6. अपूर्ण प्रस्ताव अर्थात् जिन प्रस्तावों में प्रस्ताव फ़ार्म, सामान्य निबंधन और शर्तों एवं घोषणपत्र पर कार्यालय की मोहर लगाकर यथावत हस्ताक्षर नहीं की गई है, उन्हें बिना निविदाकार को सूचित किए सीधा निरस्त कर दिया जाएगा।
7. दूरभाषिक और सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
8. निविदाकारों को निम्नलिखित दस्तावेज़ों को प्रस्ताव के साथ जमा करना होगा :
क. निविदा श्रम के अधीन (आर. एवं ए.) अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि।
ख. वैध कर निकासी प्रमाणपत्र (अभिकरण की स्थायी लेखा संख्या, इत्यादि) की प्रतिलिपि।
ग. उनके कार्य अनुभव के आलंब में अपेक्षित दस्तावेज़।
9. प्रस्ताव फ़ार्म में अधिलेखन की इजाज़त नहीं है और ऐसा करने पर बिना कोई सूचना दिए निविदा निरस्त कर दी जाएगी।